

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० १०५ / 2022

तारीख रजू :- 12.7.22

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई०डी० नम्बर 2022/430

उनवान

छेदालाल पुत्र वृंदावनलाल जाति ब्राह्मण निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

--वादीगण-04

बनाम

रूपन सिंह पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

--प्रतिवादीगण-04

दिनांक	फर्द अहकाम
12-7-22	यह दावा वादी की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.08.2022 को पेश हो। <p style="text-align: right;">(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
16/8	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपखण्ड अधिकारी नं० 1, 2, 4, 5 की तमील जमा। उपखण्ड नं० 1, 2, 4, 5 वातावरण शुद्धता जांच नहीं। अतः इनके खिलाफ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई समल में लाने जाती है। जमावली करते तलव दिनांक 3-11-22 को पेश करें।
3/11	वकुलाय उपरिशात/पीठासीन अधिकारी... पेश है। नवम्बर दिनांक 10.11.23 को पेश हो।
10/23	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपखण्ड नहीं। उपखण्ड में बार-बार वादी व वादी वकील की आवरण पितवापी गयी। आवरण पितवापी के अलावा वादी व वादी वकील उपखण्ड नहीं पेश करी। जांचित होला है। वादी व वादी वकील उपखण्ड प्रार्थना लीर में नहीं करी के स्थिति। अतः मुकदमा 205/22 दावा देखातपल तकास्मा स्थानागिह उपखण्ड दावापी व दावापी पेशनी में स्थायित्व किमत पेशनी की पत्रावली के अलावा सुनार सीकर नम्बर के अलावा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)